

निर्णय बड्जलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक
कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द
प्र0सं0 33/2019/रे0वाद/ निर्णय दिनांक :- 29.08.2019

अनवान

1. सब्बीर मोहम्मद पिता श्री फकरुदीन जाति मुसलमान आयु 50 वर्ष निवासी बागपूरा
तहसील व जिला राजसमन्द ———वादी

बनाम

1. श्री रमजान मोहम्मद पिता श्री फकरुदीन जाति मुसलमान आयु 35 वर्ष निवासी
सुरज दरवाजा देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. नसीवन बानू पत्नि फकरुदीन जाति मुसलमान आयु 60 वर्ष निवासी सुरज
दरवाजा देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. जमीला बानू पिता श्री फकरुदीन जाति मुसलमान आयु 40 वर्ष निवासी सुरज
दरवाजा देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. सुरेश पिता श्री अर्जुनलाल जाति जोशी बाहाम्ण आयु 40 वर्ष निवासी कोटडा
तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब देवगढ़
—————प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं विभाजन

व स्थाई निषेधाज्ञा

- उपस्थित :-
01. श्री नारायण लाल वकील वादी
 02. श्री उग्रप्रताप सिंह वकील प्रतिवादी
 03. श्री विजय कुमार वकील प्रतिवादी
 04. श्री प्रदीप कुमार वकील प्रतिवादी

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित तहसीलदार देवगढ़ से बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन किया। बंटवाडा प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है। अतः बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है एवं वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से

के संयुक्त स्वादे की प्रति का संयुक्त विचार करने के बाद

जाते हैं इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में खाते भी पृथक - पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में स्थित आराजी :-

ग्राम देवगढ़

1. श्री सब्बीर मोहम्मद पिता कमरुदीन मुसलमान निवासी देवगढ़ के हिस्से व खाते :-

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
3026/6	0.12.10	पडत - 2	0.08
योग - 1	0.12.10	-	0.08

2. श्रीमति जमीला बानू पत्नि कमरुदीन, नसीबन बानू पत्नि फकरुदीन, रमजान मोहममद पिता फकरुदीन 13035/43605 मुसलमान निवासी देवगढ़, सुरेश जोशी पिता अर्जुनलाल 1500/43605 बाहाम्ण निवासी कोटडा के हिस्से व खाते :-

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
3026/5	1.17.10	पडत - 2	0.22
योग - 1	1.17.10	-	0.22

वादीगण वादग्रस्त कुलिया भूमि के लगान की 5 गुणा राशि के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश करने पर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।



सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला-राजसमन्द

डिग्री व मुकदमे इब्दाई
निर्णय बईजलास श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी देवगढ़

प्र0सं0 33/2019/रे0वाद/

निर्णय दिनांक :- 29.08.2019

अनवान

1. सब्बीर मोहम्मद पिता श्री फकरुदीन जाति मुसलमान आयु 50 वर्ष निवासी बागपुरा
तहसील व जिला राजसमन्द

—वादी

बनाम

1. श्री रमजान मोहम्मद पिता श्री फकरुदीन जाति मुसलमान आयु 35 वर्ष निवासी
सुरज दरवाजा देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. नसीवन बानू पत्नि फकरुदीन जाति मुसलमान आयु 60 वर्ष निवासी सुरज
दरवाजा देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. जमीला बानू पिता श्री फकरुदीन जाति मुसलमान आयु 40 वर्ष निवासी सुरज
दरवाजा देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. सुरेश पिता श्री अर्जुनलाल जाति जोशी बाहाम्ण आयु 40 वर्ष निवासी कोटडा
तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब देवगढ़

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं विभाजन

व स्थाई निषेधाज्ञा

- उपस्थित :-
01. श्री नारायण लाल वकील वादी
 02. श्री उग्रप्रताप सिंह वकील प्रतिवादी
 03. श्री विजय कुमार वकील प्रतिवादी
 04. श्री प्रदीप कुमार वकील प्रतिवादी

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू

मिनजानिब मुदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं व
डिक्री दी जाती हैं कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम देवगढ़ पटवार
हल्का देवगढ़ तहसील देवगढ़ का बंटवाडा प्रस्ताव :-

ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में स्थित आराजी :-

ग्राम देवगढ़

1. श्री सब्बीर मोहम्मद पिता कमरुद्दीन मुसलमान निवासी देवगढ़ के हिस्से व खाते :-


आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
3026/6	0.12.10	पडत - 2	0.08
योग - 1	0.12.10	-	0.08

2. श्रीमति जमीला बानू पत्नि कमरुद्दीन, नसीवन बानू पत्नि फकरुद्दीन, रमजान मोहममद पिता फकरुद्दीन 13035/43605 मुसलमान निवासी देवगढ़, सुरेश जोशी पिता अर्जुनलाल 1500/43605 बाहाम्ण निवासी कोटडा के हिस्से व खाते :-

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
3026/5	1.17.10	पडत - 2	0.22
योग - 1	1.17.10	-	0.22


नीज मुबलिंग
बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर
फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक
का अदा करें।

बसबा मेरे दस्ताखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29 मास अगस्त सन् 2019 को जारी की गयी।


सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला-राजसमन्द

मुद्दाई	रुपया	पै0	मुदायला	रुपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा	3	00	स्टाम्प वकालातनामा	0	00
स्टाम्प वकालातनामा	2	00	स्टाम्प अरजी	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	महनताना वकील)पर	0	00
महनताना वकील)पर	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	फीस कमीशनर	0	00
फीस कमीशनर	0	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	14	00		0	
			मिजान		
मिजान	19	00		00	00

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिएं।


 सहायक कलेक्टर
 सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी
 देवगढ़ जिला-राजसमन्द